न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अ संख्या : 13/76

1. बाबूलाल आत्मज बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हरिनगर उर्फ आडागेला तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. ओम प्रकाश वल्द बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हरिनगर हाल निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. तेजमल वल्द मांगीलाल जाति धाकड (नागर) निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रहलाद आर्य, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम नीमसरा की आराजी खसरा नम्बर पुराने 219 की 11 बीघा 19 बिस्वा जिसकी हाल खसरा नम्बर 250 की 1.85 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार प्रतिवादी कम 1 के स्थान पर वादीगण को संयुक्त रूप से घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2012 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2012 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में माधोलाल वल्द गंगाराम धाकड के खातेदारी में दर्ज थी जो माधोलाल के स्वर्गवास के पश्चात् जगन्नाथी के खातेदारी में दर्ज हुई । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिताजी व दादाजी लोकनाथ बद्रीनारायण को बेचान कर कब्जा लोकनाथ व बद्रीनारायण को संभला दिया तभी से निरन्तर लोकनाथ बद्रीनारायण के रहते हुए उनके कब्जे काश्त में व उनके पश्चात् अपीलान्ट के कब्जे काश्त में निरन्तर अबाध रूप से रेस्पोडेन्ट कम 1 की एवं जगन्नाथी की जानकारी में रहते हुए आज दिन तक चली आ रही है इसलिए वादीगण अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण अपीलान्ट का सवंत् 2006 से निरन्तर अबाध रूप से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 की जानकारी में रहते हुए कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी देने को मानकर गलती की है। वादीगण अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा उनके पिता व दादा के समय से निरन्तर चले आने से रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी पर धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार 12 साल से अधिक होने से कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाने से वादीगण अपीलान्ट खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिग्री दिनांक 17.12.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 799 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. रेस्पोडेन्टगण के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने अपने वाद को साबित नहीं किया है । अपीलान्ट अपंजीकृत तहरीर के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते हैं वही दूसरी ओर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते है इस प्रकार उक्त दोनों कथन विरोधाभासी हैं । यदि अपीलान्ट अपंजीकृत बेचान नामा के आधार पर खातेदारी चाहते हैं तो उसमें कब्जा मुखालफाना का सिद्धान्त लागू नहीं होता है अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कब्जा परमिजिव पजेशन माना जावेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2012 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 722 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 तेजमल पिसरान मांगीलाल के खातेदारी में दर्ज है । वादीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर अपंजीकृत बेचान नामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अनुतोष चाहते

और वही दूसरी ओर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों का अनुतोष चाह रहे हैं उक्त दोनों कथन विरोधाभासी हैं । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट अपना वाद सिद्ध नहीं कर पाए हैं ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2012 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 07.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा